

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, झांझा
जल संसाधन विभाग बिहार, पटना

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०- 02/2019-20

पत्रांक/ झांझा, दिनांक/

पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं०- से०प्र०उप०-26/विविध-07-02/2018-1725 (S) पटना, दिनांक 10/02/2019 एवं विभागीय पत्रांक 1/PMC/विविध/957/2014-155 दिनांक 20/02/2019 एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1210 दिनांक 10/06/2019 के आलोक में प्रयुक्त होने वाले निर्माण सामग्रियों एवं यंत्र-संयंत्र की आपूर्ति हेतु अल्पकालीन दर उद्धरण (कोटेशन) आमंत्रण सूचना।

1. सिंचाई प्रमंडल, झांझा अन्तर्गत खरीफ सिंचाई अवधि 2019 में कराये जाने वाले आकस्मिक कार्यों एवं अन्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों/भाड़े पर मशीनरी के आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता निबंधित व्यक्ति/कम्पनी/एजेंसी द्वारा द्वि-लिफाफा पद्धति (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड) में दर आमंत्रित किया जाता है। दर दाता द्वारा परिशिष्ट-क पर संलग्न प्रपत्र में अंकों तथा शब्दों में अपना दर अंकित किया जायेगा।
2. आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची -

निर्माण सामग्री- ईट, बालू (कोर्स एवं लोकल) सीमेंट, स्टोन चिप्स, ह्यूम पाईप (300mm, 450mm, 600mm, ब्यास का) विभिन्न ब्यासें का छड़, बाँस, खाली सिमेंट का बोरा, सुतली, सेंटरिंग-सटरिंग कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री, (यंत्र-संयंत्र) Generator Set, Tractor, Hydraulic excavator (Poclair) Front End Loader (JCB) जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा स्वीकृत दर पर, चालक सहित निरीक्षण वाहन (ईंधन सहित) नोट- आपूर्तिकर्ता उपर दिये गये यंत्र-संयंत्रों में से किसी एक या सभी यंत्र-संयंत्रों के लिए दर दे सकता है।

3. दर उद्धरण (कोटेशन) से संबंधित विवरण निम्नवत् है:-

1.	दर आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, झांझा।
2.	कार्य का नाम	सिंचाई प्रमंडल, झांझा अन्तर्गत खरीफ सिंचाई अवधि 2019 में विभिन्न स्थानों पर नहरों के संरचनाओं/बाँधों की मरम्मत/आकस्मिक कार्य हेतु सामग्रियों की आपूर्ति।
3.	कोटेशन के माध्यम से दर प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 06.07.2019 अपराहन 3:00 बजे तक
4.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 06.07.2019 को 3:30 बजे अपराहन में ईच्छुक व्यक्ति कम्पनी/एजेंसी या उनके प्रतिनिधि के समक्ष।
5.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	रक्षम पदाधिकारी द्वारा घोषित किया जायेगा।

1. कोटेशन दाता के द्वारा तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड से संबंधित अभिलेखों को अलग-अलग लिफाफे में बंद कर तकनीकी बीड लिफाफा एवं वित्तीय बीड लिफाफा पर क्रमशः तकनीकी बीड लिफाफा एवं वित्तीय बीड लिफाफा अंकित कर दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बन्द करते हुए दर आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। प्रत्येक लिफाफे पर कोटेशन दाता का नाम, कार्य का नाम एवं मोबाइल नं० अंकित रहना अनिवार्य है।

✍

तकनीकी बीड से संबंधित अभिलेख

1. दर दाता/आपूर्तिकर्ता/व्यक्ति/कम्पनी को राज्य/केन्द्र सरकार के संबंधित सक्षम प्राधिकार के अधीन निबंधित होना अनिवार्य है। कोटेशन के साथ निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. दर दाता/व्यक्ति/कम्पनी को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उन्हें किसी न्योक्ता द्वारा कालीकृत नहीं किया गया है।
3. आपूर्तिकर्ता को GST के अन्तर्गत निबंधित एवं आयकर विभाग से संबंधित PAN संलग्न करना अनिवार्य होगा। GST निबंधन प्रमाण-पत्र के अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। यदि GST के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता को कोई छूट प्राप्त हो तो उसका प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये यंत्र-संयंत्र का स्वयं के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र अथवा किसी से लीज पर लिया गया हो तो लीज एकरारनामा का स्वयं अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस तथा वाहन का व्यवसायिक निबंधन आवश्यक होगा।

वित्तीय बीड से संबंधित अभिलेख

1. कोटेशनदाता को अपनी कोटेशन में अपनी सभी मशीनरी के लिए अलग-अलग एवं साफ-साफ अक्षरों में संलग्न परिशिष्ट-ख (i) एवं परिशिष्ट-ख (ii) के अनुसार अपना दर अंकित करेंगे जो शब्दों एवं अंकों दोनों में होगा। दोनों में अंतर पाये जाने पर शब्द में लिखा गया दर सही माना जायेगा।

अन्य शर्तें

1. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत वैधानिक करों से संबंधित परिपत्रों/नियमों का अनुपालन करना होगा। खण्ड निर्माण सामग्रियों का रॉयल्टी भुगतान से संबंधित आवश्यक एम0एन0 फार्म सत्यापन सहित समर्पित करना आवश्यक होगा।
2. दरदाता द्वारा उद्धृत दर मशीनरी का मौलिक दर (Basic Rate) पर अय लागू वैधानिक दर जोड़कर तथा कटौती योग्य की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
3. सामग्रियों का दर सभी सामग्रियों के आपूर्ति हेतु दर दाता द्वारा दिये गये अलग-अलग दरों में से जो निम्नतम दर के आधार पर तय किया जायेगा।
4. सक्षम पदाधिकारी के निदेशन में ही सामग्रियों की आपूर्ति ली जायेगी एवं आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूरित निम्न कोटि की अस्वीकृत सामग्री को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति स्थल से तुरंत हटा लिया जायेगा एवं हटवाने का खर्च स्वयं आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता की इस संबंध में क्षति की जिम्मेवारी विभाग पर नहीं होगी।
6. कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, झांझा को यह अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये भी या सभी दर उद्धरण को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः अस्वीकृत कर सकते हैं।
7. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. आपूर्ति किये गये मशीनरी के भाड़े का भुगतान कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित वास्तविक Use Hour के आधार पर किया जायेगा एवं विपत्र से नियमानुसार GST एवं अय वैधानिक करों की कटौती की जायेगी।
9. कोटेशन के बारे में विशेष सूचना प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में (कार्यालय अवधि) में या दूरभाष सं0- 7463889341 पर संपर्क किया जा सकता है।

(Handwritten mark)

ह/ -
कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई प्रमंडल, झांझा
28/11/19

पत्रांक 288 / झाड़ा,

दिनांक 28.06.2019 /

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सूचना एवं विज्ञान कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

28/6/19
कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई प्रमंडल, झाड़ा
28/06/19

परिशिष्ट- 'क'

QUALIFYING BID (Technical Bid)

1	Name of tendring Company/Firm/Agency attach self attested copy of certificate of registration	
2	Nature of the concern (I.e. sole proprieter or partnership firm or company under company act 1956)/Registration under WRD with registration number.	
3	Full address of reg. office - Telephone No. - FAX NO. - Email Address -	
4	Full address of operating/Branch office - Telephone No. - FAX NO. - Email Address -	
5	PAN/GIR (attach self attested copy)	
6	GST Ragestration No. (attach self attested copy)	
7	Income Tax Return filed for the last two financial year 2016-17 & 2017-18 (attach self attested copy)	
8	Wheather each page of tender and is annexure have been signed and stamped	
9	Additional information, if any (Attach saperate sheet, if required)	

(Signature of the tenderer with staqmp of the firm)

Signature and Stamp of the Contractor

परिशिष्ट 'ख' (i)

आकस्मिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की सूची मूल दर सहित

SL. No	Description of materials	Unit Per	Basic rate In Rs (without taxes, GST & Royalty)	Quoted Rate		Remarks
				In digits	In words	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cement (OPC GR 43)	Bag	253.00			
2.	Coarse sand	M ³	100.80			
3.	Local sand	M ³	66.85			
4.	Stone chips (20mm to 10mm)	M ³	542.67			
5.	Stone chips (40mm nominal size)	M ³	341.08			
6.	Bricks	1000 No.	5243.00			
7.	Hume pipe (i) 300 mm dia (ii) 450 mm dia (iii) 600 mm dia	M M M	271.45 — 832.45			
8.	TMT Fe 500 (i) 8 mm dia (ii) 10 mm dia (iii) 12 mm dia (iv) 16 mm dia (v) 20 mm dia	MT MT MT MT MT	43644.00 42712.00 42119.00 42119.00 42119.00			
9.	निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति सिंचाई प्रमंडल, झांझा से कार्य स्थल तक (कच्चा पक्का सहित) मार्ग से/ दुलाई का दर प्रति ट्रेक्टर। (i) 10Km. की परिधि में (ii) 20Km. की परिधि में (iii) 30Km. की परिधि में (iv) 40Km. की परिधि में (v) 50Km. की परिधि में	प्रति ट्रेक्टर।	— — — — —			

22/6/19
कार्यपालक अशियता
सिंचाई प्रमंडल, झांझा
22/6/19

परिशिष्ट- 'ख' (II)

वर्ष 2019-20 में भाड़े पर रखे जाने वाले मशीनरी की सूची मूल दर सहित

Sl. No.	Description of Machine	Activity	Output of Machine	Output	Unit	Basic Rate in Rs. (Without Taxes GST & Royalty)	Quated Rate		Remarks
							In Digits	In Words	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Front End Loader 1.0 Cum bucket Capacity (JCB)	Soil Loading/Aggregate Loading	Cum/Hour	60/25	Per Hour	1373.00			
2	Generator Set	Generation of Electric energy	KVA	5	Per Hour	1062.00			
3	Tractor	Pulling	Capacity in HP	50	Per Hour	546.00			
4	Hydraulic excavator (Poclain)	Soil ordinary/Soil Marshy/Soil Unsuitable	Cum/Hour	60/60/50	Per Hour	1958.00			
5	Inspection Vehicle	-	-	-	Per Month	21500.00			Specify the type of Vehicle & Rate


 कार्यपालक अभियन्ता
 सिवाई प्रमंडल, झांझा
 29/11/2019

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

आज दिनांक-10.06.2019 को मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर परिक्षेत्राधीन पदाधिकारियों के साथ मासिक बैठक के क्रम में पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं०-से०प्र०उप०-26/विधि-07-02/2018-1725 (S) पटना, दिनांक-18.02.2019 एवं विभागीय पत्रांक-1/PMC/विधि/957/2014-155 दिनांक-26.02.2019 के आलोक में खरीफ 2019 के दौरान नहर संचालन संबंधी आवश्यक कार्य को कराने हेतु श्रमबल, यंत्र-संयंत्र भाड़े पर लेने के लिए तथा निर्माण सामग्रियों के आपूर्ति हेतु निम्नवत् प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया :-

1. सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रमंडल स्तर पर कोटेशन प्राप्त कर दर निर्धारित किया जायेगा। निर्माता सरकारी प्रतिष्ठानों से सामग्री सीधे क्रय की जा सकेगी।
2. यथा सम्भव विभागीय Tools & Plant का प्रयोग कर विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे। विभागीय रूप से Tools & Plant अनुपलब्धता की स्थिति में प्रमंडल स्तर पर कोटेशन के माध्यम से दर निर्धारित किया जायेगा, जिसके आधार पर कार्यपालक अभियंता द्वारा Tools & Plant Hire कर कार्य कराया जा सकेगा।
3. कार्यो को कराने के लिए मानव बल आपूर्तिकर्ताओं अथवा विभाग में निबंधित संवेदकों जो अनुसूचित दर पर (संवेदक लाभ छोड़कर) श्रमबल आपूर्ति के इच्छुक हो, को प्रमंडल स्तर पर सूचीबद्ध किया जायेगा। इन सूचीबद्ध श्रमबल आपूर्तिकर्ताओं से आवश्यकतानुसार श्रमबल कार्यपालक अभियंता प्राप्त करेंगे। आपूर्तिकर्ता से वास्तविक श्रमिक आपूर्ति के आधार पर श्रमदर के साथ देय वैधानिक करों का भुगतान/कटौती की जायेगी।

ह०/-
(ई० विनोद कुमार)
अधीक्षण अभियंता
सिंचाई अंचल, जमुई।

ह०/-
(ई० ज्ञान प्रकाश लाल)
अधीक्षण अभियंता
सिंचाई अंचल, भागलपुर।

ह०/-
(ई० निरंजन कुमार)
अधीक्षण अभियंता
सिंचाई अंचल, खड़गपुर।

ह०/-
(ई० ज्ञान प्रकाश लाल)
अधीक्षण अभियंता
रूपांकण, आयोजन एवं
मोनिटरिंग अंचल, भागलपुर।

ह०/-
(ई० शैलेन्द्र)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर

ज्ञापांक 1210

प्रतिलिपि :- परिक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/भागलपुर, दिनांक 10-6-19

मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर

10.6